संख्या: 30/2023/345/छप्पन-2023-56-1002(001)/02/2021

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 20 मार्च, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा-03-हवाई पट्टियों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण के अन्तर्गत आय-व्ययक से प्राप्त धनराशि को निदेशक, नागरिक उड्डयन के निवर्तन पर रखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-304/ना0उ0नि0/2023-ए0एस-11/1984 दिनांक 09 मार्च, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा-03-हवाई पट्टियों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त प्रदान के साथ प्रदान करते हैं कि व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष आवश्यक व्यय बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका से सम्बन्धित नियमों, स्थाई आदेशों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022-बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करते हुए केवल स्वीकृत योजनाओं/मदों पर व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों के कार्यान्वयन में नहीं किया जाएगा। निवर्तन पर रखा गयी धनराशि के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाएगा।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

2/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 30/2023/345(1)/छप्पन-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार, ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।